प्राधिकरण की 124वीं बैठक का कार्यवृत्त
MINUTES OF THE 124th MEETING OF THE AUTHORITY
28 दिसंबर, 2023 को प्रातः 11.00 बजे हैदराबाद में आयोजित
held on 28th December, 2023 at 11.00 AM at Hyderabad

उपस्थितः

अध्यक्ष	श्री देबाशीष पण्डा
पूर्णकालिक सदस्य	श्री प्रमोद कुमार अरोड़ा
पूर्णकालिक सदस्य	श्रीमती एस.एन. राजेस्वरी
पूर्णकालिक सदस्य	श्री थामस देवसिया (आभासी विधि)
पूर्णकालिक सदस्य	श्री बी. सी. पटनायक
अंशकालिक सदस्य	डा. मारुति प्रसाद तंगिराला (आभासी विधि)
अंशकालिक सदस्य	सीए अनिकेत सुनील तलाटी (आभासी विधि)

साथ ही उपस्थितः

प्राधिकृत अधिकारी	श्रीमती बी. पद्मजा
बोर्ड सचिवालय	श्री रोनंकि वेंकटेश

Present:

Chairperson	Shri Debasish Panda
Whole-time Member	Shri Parmod Kumar Arora
Whole-time Member	Smt. S.N. Rajeswari
Whole-time Member	Shri Thomas Devasia (Virtual Mode)
Whole-time Member	Shri B.C Patnaik
Part-time Member	Dr. Maruthi Prasad Tangirala (Virtual Mode)
Part-time Member	CA Aniket Sunil Talati (Virtual Mode)

Also present:

Designated Officer	Smt. B Padmaja
Board's Secretariat	Shri Ronanki Venkatesh

अध्यक्ष महोदय ने उपस्थित सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया। अध्यक्ष महोदय ने श्री राकेश जोशी, जो 1 दिसंबर 2023 तक प्राधिकरण के पूर्णकालिक सदस्य थे, के योगदान को अभिलेखबद्ध किया। यह जानने के बाद कि आवश्यक गणपूर्ति उपलब्ध है, अध्यक्ष महोदय ने विचार-विमर्श प्रारंभ किया।

अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में अध्यक्ष महोदय ने नवंबर 2023 तक संगृहीत प्रीमियम के तौर पर उद्योग के कार्यनिष्पादन के बारे में बताया जो रु. 6.58 लाख करोड़ था जिसकी वृद्धि दर पिछले वर्ष के तदनुरूपी अवधि की तुलना में 2% अधिक रही। जबकि साधारण बीमाकर्ताओं ने 14% पर वृद्धि की, वहीं स्वास्थ्य खंड में वृद्धि दर 22% थी जहाँ पाँच स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ने 27% की वृद्धि दर दर्ज की। 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार उद्योग की प्रबंधनाधीन आस्तियाँ (एयूएम) पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में विद्यमान रु. 54 लाख करोड़ की तुलना में लगभग रु. 60 लाख करोड़ हैं जो 11% की वृद्धि दर्ज करती हैं।

उन्होंने आगे विस्तार से बताया कि 26 जुलाई 2022 को संपन्न बैठक में लिये गये प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार सभी विनियमों की एक व्यापक समीक्षा की गई जिसके अंतर्गत वर्तमान नियम-आधारित दृष्टिकोण से सिद्धांत-आधारित विनियामक ढाँचे की दिशा में अग्रसर होने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा, यह पहल 2023-24 की बजट घोषणा के साथ सुयोजन में है। इस प्रयोग के भाग के रूप में एक विनियम को आज की बैठक के लिए कार्यसूची के तौर पर लिया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय तथा मिशन मोड टीमों के संबंधित सदस्यों ने उक्त तीन मिशन मोड टीमों के द्वारा की गई प्रगति के संबंध में संक्षेप में जानकारी दी।

भारतीय जोखिम आधारित पूँजी (इंड – आरबीसी):

भारतीय जोखिम आधारित पूँजी (इंड – आरबीसी) संबंधी मिशन मोड टीम भारतीय बीमा क्षेत्र के लिए भारतीय जोखिम आधारित पूँजी संबंधी उपयुक्त ढाँचा निर्धारित करने के संबंध में कार्य कर रही है। वर्तमान उपादान (फैक्टर) आधारित माडल से इंड-आरबीसी की ओर संक्रमण की दिशा में एक प्रमुख कदम के रूप में, आईआरडीएआई ने पहला मात्रात्मक प्रभाव अध्ययन (क्यूआईएस1) प्रारंभ किया है। अपेक्षित जोखिम-आधारित पूँजी का परिकलन करने के लिए एक तकनीकी मार्गदर्शन दस्तावेज और एक व्यापक टेंप्लेट आंतरिक रूप से विकसित किये गये हैं जो बीमाकर्ताओं/पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ साझा किये गये हैं तथा इस संबंध में एक कार्यशाला संचालित की गई है। क्यूआईएस1 के परिणामों एवं उद्योग से प्राप्त होनेवाले सुझावों/प्रतिसूचना के आधार पर क्यूआईएस2 जारी किया जाएगा।

इंड एएस/आईएफआरएस का कार्यान्वयन

उक्त मिशन मोड टीम बीमा क्षेत्र में इंड एएस/आईएफआरएस के कार्यान्वयन पर कार्य कर रही है। आईआरडीएआई द्वारा सूचित किये गये अनुसार, सभी बीमाकर्ताओं ने इंड एएस/ आईएफआरएस के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए अपनी-अपनी संस्था में एक समर्पित उच्च-स्तरीय संचालन समिति गठित की है। इसके अलावा, 15 से अधिक बीमाकर्ता अंतराल के आकलन को पूरा करने की प्रक्रिया में हैं जो इंड एएस/आईएफआरएस के कार्यान्वयन का पहला चरण है। जबकि

उद्योग इंड एएस के कार्यान्वयन के लिए तैयारी कर रहा है, वहीं बीमा संविदाओं संबंधी मानक अर्थात् इंड एएस – 117, जोकि आईएफआरएस-17 के समतुल्य है, की अधिसूचना प्रतीक्षित है।

जोखिम आधारित पर्यवेक्षी ढाँचा (आरबीएसएफ)

जोखिम आधारित पर्यवेक्षी ढाँचे (आरबीएसएफ) संबंधी मिशन मोड टीम आरबीएसएफ संबंधी उपयुक्त ढाँचे के विकास और कार्यान्वयन के लिए कार्य कर रही है। उक्त आरबीएसएफ टीम ने आवश्यक दस्तावेजों का निर्माण किया है जैसे `संकल्पना नोट', `मध्यक्षेप की पर्यवेक्षी सीढ़ी' और `मार्गदर्शन नोट'। आरबीएसएफ के सिद्धांतों पर संक्षिप्त जानकारी देने के लिए उन्होंने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और मुख्य जोखिम अधिकारियों सहित, बाह्य हितधारकों के साथ भी संबद्धता रखी है। आंतरिक क्षमता निर्माण के भाग के रूप में, आरबीएसएफ के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण के लिए 30 अधिकारियों की एक टीम की पहचान की गई है। प्रयोग के प्रथम चरण में दो बीमाकर्ताओं के संबंध में एक अध्ययन किया गया है। दूसरे चरण (अप्रैल 2024) में फोकस व्यावहारिक आरबीएसएफ कार्यान्वयन पर रहेगा।

तदुपरांत, कार्यसूची की मदों पर विचार-विमर्श प्रारंभ किया गया।

3. आईआरडीएआई की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 पर परिचालन द्वारा कार्यसूची नोट

3.1 यह प्रस्तुत किया गया कि आईआरडीएआई की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के संबंध में एक परिपत्र - कार्यसूची अनुमोदन के लिए परिचालित किया गया। उक्त परिपत्र संकल्प के लिए प्राधिकरण के सभी सदस्यों ने सहमति दी थी। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आईआरडीएआई की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 संसद के दोनों सदनों के समक्ष दिसंबर 2023 में रखी गई।

3.2 प्राधिकरण ने उक्त परिपत्र कार्यसूची पर ध्यान दिया तथा उससे संबंधित संकल्प को पारित किया गया।

6. अग्नि, मोटर और इंजीनियरिंग के अंतर्गत सभी प्रशुल्क उत्पादों, कर्मकार प्रतिकर और बीमा व्यवसाय की अन्य श्रेणियों में विवाचन खंड की अधिसूचना को निरस्त करना

6.1 यह प्रस्तुत किया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2023 की एसएलपी (सी) सं. 224-26, मेसर्स एनआईसी - विरुद्ध - मेसर्स निप्पोन पेपर फुडपैक प्रा. लि. के मामले में *कारण निर्दिष्ट करते हुए कि क्यों केवल विवाद की मात्रा विवाचन-योग्य है, जबकि पालिसी का निराकरण अथवा स्वतः दावे की अस्वीकृति को गैर-विवाचनयोग्य किया गया है,* आईआरडीएआई को दिये गये निदेश के आधार पर साधारण बीमा व्यवसाय की विभिन्न व्यवस्थाओं में प्रचलित वर्तमान विवाचन खंड की एक व्यापक समीक्षा की गई है।

6.2 हितधारकों के साथ उचित परामर्श करने के बाद सभी साधारण बीमा कंपनियों को निम्नलिखित का निदेश देते हुए एक परिपत्र दिनांक 27 अक्तूबर 2023 जारी किया गयाः

I. व्यवसाय की खुदरा व्यवस्थाओं के अंतर्गत जारी की गई सभी पालिसियों के लिए कोई विवाचन खंड नहीं होगा।

II. व्यवसाय की वाणिज्यिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत जारी की गई सभी पालिसियों के लिए एक विवाचन खंड होगा जिसके द्वारा पक्षकार पारस्परिक तौर पर सहमत हो सकते हैं तथा अलग विवाचन करार कर सकते हैं।

6.3 बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64 यूएलए (1) के अनुसार साधारण बीमा व्यवसाय की सभी श्रेणियों में विवाचन खंड के संबंध में अधिसूचना को निरस्त किया जाना चाहिए।

6.4 उक्त कार्यसूची का अनुमोदन किया गया।

7. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कमीशन सहित, बीमाकर्ताओं के प्रबंधन व्यय) विनियम, 2024

7.1 यह प्रस्तुत किया गया कि विनियमों की व्यापक समीक्षा के भाग के रूप में 26 मार्च 2023 को अधिसूचित निम्नलिखित विनियमों की समीक्षा की गई। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ कि अत्यधिक व्ययों के कारण पालिसीधारकों के लिए प्रतिलाभों के संबंध में कोई समझौता न किया जाए, कमीशन सहित प्रबंधन के व्ययों के संबंध में एक एकीकृत विनियम जारी करने का प्रस्ताव किया गयाः

I. आईआरडीएआई (साधारण या स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन व्यय) विनियम, 2023;
II. आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन व्यय) विनियम, 2023;
III. आईआरडीएआई (कमीशन का भुगतान) विनियम, 2023

7.2 उक्त कार्यसूची का अनुमोदन किया गया।

The Chairperson extended a warm welcome to all the Members present. The Chairperson placed on record contributions of Shri Rakesh Joshi, who was the Whole-time Member of the Authority until 1st December 2023. After ascertaining that the requisite quorum was available, Chairman started the deliberations.

In his brief opening remarks, the Chairperson touched upon the industry's performance in terms of premium garnered upto November 2023 which was Rs.6.58 lakh crore with a growth rate of 2% over the corresponding period previous year. While the general insurers grew at 14%, the growth rate in the health segment was 22% with the five standalone health insurers recording a growth rate of 27%. The Assets Under Management (AUM) of the Industry as on 31st March 2023 are around Rs. 60 lakh crore as compared to Rs. 54 lakh crore at the end of previous financial year, registering a growth of 11%.

He further elaborated that as per the decision of the Authority in the meeting dated 26th July, 2022, a comprehensive review of all the Regulations has been taken up whereunder, there is an attempt to move towards a principle-based regulatory framework from the existing rule-based approach. Further, this initiative is also in

alignment with the Budget announcement of 2023-24. As part of this exercise, one regulation is being taken up as Agenda for the day's meeting.

The Chairperson and respective members of Mission Mode teams briefly touched upon the progress made by the three Mission Mode Teams:

Indian Risk Based Capital (Ind – RBC):

The Mission Mode Team on Indian Risk Based Capital (Ind – RBC) is working on laying down a suitable framework on Indian Risk Based Capital for the Indian insurance sector. As a major step towards transition to Ind-RBC from the present factor-based model, IRDAI has initiated the First Quantitative Impact Study (QIS1). A technical guidance document and a comprehensive template, developed internally, to calculate the required risk-based capital was shared with insurers/reinsurers and a workshop was conducted in this regard. Basis results of QIS1 and the industry suggestion/feedback, QIS2 will be issued.

Implementation of Ind AS/IFRS

The mission mode team is working on Implementation of Ind AS/IFRS in the insurance sector. As advised by the IRDAI, all insurers have constituted a dedicated high level Steering Committee in their organizations to oversee effective implementation of Ind AS/IFRS. Further, more than 15 Insurers are in the process of completion of gap assessment which is the first phase of the Ind AS/IFRS implementation. While industry is preparing for the implementation of Ind AS, notification of standard on Insurance Contracts viz., Ind AS-117, the equivalent of IFRS-17 is awaited.

Risk Based Supervisory Framework (RBSF)

The mission mode team on Risk Based Supervisory Framework (RBSF) is working for development and implementation of suitable framework on RBSF. The RBSF team has created essential documents such as a 'Concept note,' 'Supervisory ladder of intervention,' and 'Guidance note.' They have also engaged with external stakeholders, including Chief Executive Officers and Chief Risk Officers, to brief on principles of RBSF. As part of the internal capacity building, a team of 30 officials is identified for necessary training on RBSF. A study was carried out on two insurers in the first phase of pilot. In the second phase (April 2024), focus shall be on practical RBSF implementation.

Thereafter, agenda items were taken up.

3. Agenda Note by Circulation on IRDAI's Annual Report 2022-23

3.1 It was submitted that a circular agenda on IRDAI Annual Report 2022-23 was circulated for approval. All Members of the Authority had consented to the said circular resolution. It was also submitted that the IRDAI Annual Report 2022-23 was placed before both the Houses of Parliament in December 2023.

3.2 The Authority noted the circular agenda item and the resolution adopted thereon.

6. De-notification of Arbitration Clause in all tariff products under Fire, Motor and Engineering, Workmen's Compensation and other classes of insurance business

6.1 It was presented that basis the Hon'ble Supreme Court directive to IRDAI in the matter of SLP(C) Nos. 224-26 of 2023, M/s NIC Vs. M/s Nippon Paper Foodpac Pvt. Ltd. to file an affidavit *indicating the reasons why only the quantum of dispute is arbitrable, whereas repudiation of the policy or denial of the claim per-se is made non-arbitrable,* a comprehensive review of the extant Arbitration Clause prevalent across various lines of General Insurance business was undertaken.

6.2 After due consultations with stakeholders, a circular dated 27th October, 2023 was issued directing all general insurance companies the following:

i. All policies issued under the Retail Lines of Business shall not have any Arbitration Clause.
ii. All Policies issued under the Commercial Lines of Business shall have an Arbitration Clause whereby parties may mutually agree and enter into separate Arbitration agreement

6.3 In terms of Section 64 ULA (1) of the Insurance Act, 1938, the Arbitration clause in all classes of general insurance business is to be de-notified.

6.4 The agenda was approved.

7. Insurance Regulatory and Development Authority of India (Expenses of Management, including Commission, of Insurers) Regulations, 2024

7.1 It was presented that as part of the comprehensive review of Regulations the following regulations notified on 26th March 2023 were reviewed. It was proposed to issue a unified regulation on expenses of management including payment of commission, with an objective to ensure that returns to policyholders are not compromised on account of high expenses:

i. IRDAI (Expenses of Management of Insurers transacting General or Health Insurance Business) Regulations, 2023;

ii. IRDAI (Expenses of Management of Insurers transacting Life Insurance Business) Regulations, 2023;
iii. IRDAI (Payment of Commission) Regulations, 2023

7.2 The agenda was approved.

सभी सदस्यों के प्रति आभार-प्रदर्शन के साथ बैठक समाप्त हुई।
The meeting ended with a vote of thanks to all Members.

अध्यक्ष
CHAIRPERSON